

का.आ.सं. Office Order No. HO/010/003

दिनांक / Date: 29.03.2025

विषय - घटनाओं या सूचनाओं की भौतिकता निर्धारित करने की नीति

Sub: Policy on Determination of Materiality of Event or Information.

संदर्भ - कार्यालय आदेश सं. प्रका/010/002 दिनांक 15.03.2024 (यथा संशोधित)

Ref: Office Order No. HO/010/002 dated 15.03.2024 (as amended)

-00-

1. परिचय / Introduction

1.1 सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथा संशोधित (जिसे यहां इसके बाद 'सेबी सूचीकरण विनियम' कहा गया है) के विनियम 30 की आवश्यकताओं के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट की जाने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचना के निर्धारण के लिए घटना या सूचना की भौतिकता का निर्धारण करने की निम्नलिखित नीति ("नीति") जारी की गई है। कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी सूचीबद्धता के लागू विनियमों के तहत 29 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

The following Policy on Determination of Materiality of Event or Information ("Policy") is issued in pursuance of the requirements of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") for determination of material events or information to be disclosed to Stock Exchanges. The Board of Directors of the Company has accorded approval for the same at its meeting held on 29th October, 2015 under applicable SEBI Listing Regulations.

1.2 निदेशक मंडल, सीईओ, सीएफओ, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, सहायक कंपनी और ऐसे अन्य सभी शब्द जो यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं, का अर्थ सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत उन्हें क्रमशः दिए गए अर्थों से होगा तथा उसकी परिभाषा या स्पष्टीकरण न होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत समय-समय पर यथा संशोधित बनाए गए/जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के अनुसार होगा।

Board of Directors, CEO, CFO, Key Managerial Personnel, Senior Management Personnel, Subsidiary and all other words not defined herein shall have meaning respectively assigned to them under the SEBI Listing Regulations and in the absence of its definition or explanation therein, as per the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "Act") and the Rules, Notifications and Circulars made/issued thereunder, as amended, from time to time.

2. प्राधिकृत व्यक्ति / Authorised Persons

2.1 सूचीकरण विनियमों के विनियम 30 (5) के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव (जिन्हें यहां इसके बाद 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक' कहा गया है) को किसी घटना या सूचना की भौतिकता का निर्धारण करने और समय पर स्टॉक एक्सचेंजों में समुचित प्रकटीकरण करने के लिए अलग-अलग रूप से प्राधिकृत किया जाएगा।

Pursuant to Regulation 30(5) of Listing Regulations, the Chairman and Managing

Director, Director (Finance) and Company Secretary of the Company [hereinafter referred to as “Key Managerial Personnel” (KMPs)] shall be authorised severally to determine the materiality of an event or information and to make appropriate disclosure to Stock Exchanges on a timely basis.

- 2.2 भौतिक घटनाओं या सूचनाओं को निर्धारित करने के लिए केएमपी की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी -

The KMPs shall have the following powers and responsibilities for determining the material events or information:

- a. ऐसी घटना या सूचना जिसे 'भौतिक' माना जा सकता है और जिसे किसी दिए गए समय में विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रकट करने की आवश्यकता हो, की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
To review and assess an event or information that may qualify as ‘material’ and may require disclosure, on the basis of facts and circumstances prevailing at a given point in time.
- b. किसी घटना या सूचना के घटित होने के वास्तविक समय के मूल्यांकन के आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने का उचित समय निर्धारित करना।
To determine the appropriate time at which the disclosures are to be made to the stock exchanges based on an assessment of actual time of occurrence of an event or information.
- c. नियमित आधार पर महत्वपूर्ण प्रकृति के विकास को तब तक प्रकट करना जब तक संबंधित स्पष्टीकरण के साथ घटना या सूचना का समाधान/समापन न हो जाए।
To disclose developments that are material in nature on a regular basis, till such time the event or information is resolved/closed, with relevant explanations.
- d. ऐसी अन्य घटनाओं या सूचनाओं पर विचार करना जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करने की आवश्यकता हो जो सेबी सूचीबद्धता के विनियमों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं और ऐसे मामलों के लिए प्रकटन की भौतिकता, समुचित समय और अंतर्वस्तु का निर्धारण करना।
To consider such other events or information that may require disclosure to be made to the stock exchanges which are not explicitly defined in the SEBI Listing Regulations and determine the materiality, appropriate time and contents of disclosure for such matters.
- e. सहायक कंपनियों के संबंध में ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं को प्रकट करना जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
To disclose all events or information with respect to the subsidiaries which are material for the Company.

3. घटनाओं या सूचना की भौतिकता निर्धारित करने की नीति

Guidelines for Determining Materiality of Events or Information

- 3.1 सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III के भाग-ए के पैरा-ए में निर्दिष्ट घटना या सूचना जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, को भौतिकता के दिशा-निर्देशों के किसी अनुप्रयोग के बिना, "महत्वपूर्ण" माना जाता है, के रूप में प्रकट किया जाएगा। (अनुलग्नक-1 देखें)
Events or information specified in Para A of Part A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations as may be amended from time to time shall be disclosed as events which are

“deemed” to be material, without any application of the guidelines for materiality. (refer Annexure-1)

- 3.2 सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III के भाग-ए के पैरा-बी में निर्दिष्ट घटना या सूचना जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, विनियम 30 (4) में संदर्भित भौतिकता के दिशा-निर्देशों को लागू करने पर प्रकट की जाएगी। (अनुलग्नक-2 देखें)

Events or information specified in Para B of Part A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations as may be amended from time to time shall be disclosed upon application of the guidelines of materiality referred in Regulation 30 (4). (refer Annexure-2)

- 3.3 सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 30 (4) में निर्दिष्ट मानदंड किसी घटना या सूचना की भौतिकता के निर्धारण के लिए लागू होंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

The criteria as specified in Regulation 30(4) of the SEBI Listing Regulations will be applicable for determination of materiality of an event or information, which includes the following:

A. गुणात्मक मानदंड / Qualitative Criteria:

- (a) किसी घटना या सूचना का लोप जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध घटना या सूचना का समापन या परिवर्तन होने की संभावना है, या the omission of an event or information, which is likely to result in discontinuity or alteration of event or information already available publicly; or
- (b) किसी घटना या सूचना का लोप करने से बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना हो यदि उक्त लोप बाद की तारीख में प्रकाश में आता है, या the omission of an event or information is likely to result in significant market reaction if the said omission came to light at a later date; or

B. मात्रात्मक मानदंड / Quantitative Criteria:

ऐसी घटना या सूचना का लोप जिसका मूल्य या मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित प्रभाव निम्नलिखित के निम्नतर से अधिक हो -

The omission of an event or information, whose value or the expected impact in terms of value exceeds the lower of the following:

- (a) कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार कारोबार का 2%।
2% of turnover, as per the last audited consolidated financial statements of the Company;
- (b) कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार निवल मालियत का 2%, ऐसे मामले को छोड़कर जहां निवल मालियत का अंकगणितीय मूल्य ऋणात्मक है।
2% of net worth, as per the last audited consolidated financial statements of the Company, except in case of the arithmetic value of the networth is negative;
- (c) कंपनी के पिछ्ले तीन लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर पश्चात् लाभ या हानि के पूर्ण मूल्य के औसत का 5%।
5% of the average of absolute value of profit or loss after tax, as per the last three audited consolidated financial statements of the Company

C. यदि ऊपर उल्लिखित गुणात्मक/मात्रात्मक मानदंड लागू नहीं होते हैं तो किसी घटना / सूचना को भौतिक माना जा सकता है यदि कंपनी के निदेशक मंडल की राय में ऐसी घटना/सूचना को महत्वपूर्ण माना जाता हो।

In case where the qualitative /qualitative criteria specified above are not applicable, an event/information may be treated as being material if in the opinion of the Board of Directors of the Company, the event / information is considered material.

3.4 सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III के भाग-क के पैरा-सी में उल्लिखित घटना या सूचना जैसे ऐसा प्रमुख घटनाक्रम जिससे कंपनी के कारोबार पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो जैसे नई तकनीकों का उभरना, पेटेंट की समाप्ति, लेखा नीति में कोई परिवर्तन जिसका खातों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है आदि और उसके संक्षिप्त विवरण तथा ऐसी अन्य सूचना जो कंपनी को विशेष रूप से ज्ञात हो जो कंपनी के प्रतिभूतिधारकों को उसकी स्थिति का मूल्यांकन करने और ऐसी प्रतिभूतियों में झूठा बाजार स्थापित करने से बचने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो।

Events or information specified in Para C of Part A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations viz., major development that is likely to affect business of the Company, e.g. emergence of new technologies, expiry of patents, any change of accounting policy that may have a significant impact on the accounts, etc. and brief details thereof and any other information which is exclusively known to the Company which may be necessary to enable the holders of securities of the Company to appraise its position and to avoid the establishment of a false market in such securities.

3.5 सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य घटना या सूचना भी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट की जाएगी।

Any other event or information, as specified by SEBI from time to time shall also be disclosed to the Stock Exchanges.

3.6 यदि, निदेशक मंडल की राय में, कोई घटना या सूचना महत्वपूर्ण मानी जाती है तो उसे स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किया जाएगा।

If, in the opinion of the Board of Directors, any event or information is considered as material, the same shall be disclosed to Stock Exchanges.

3.7 कंपनी सहायक कंपनियों के संबंध में ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं को भी प्रकट करेगी जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

The Company shall also disclose all events or information with respect to Subsidiaries which are material for the Company.

3.8 कंपनी नियमित आधार पर अद्यतन महत्वपूर्ण विकास को तब तक प्रकट करती रहेगी जब तक इस नीति में संदर्भित प्रकटनों के संबंध में प्रासंगिक स्पष्टीकरण के साथ घटना का समाधान नहीं कर दिया जाता / समाप्त नहीं कर दिया जाता ।

The Company shall make disclosures updating material developments on a regular basis, till such time the event is resolved/closed, with relevant explanations with respect to disclosures referred to in this Policy.

3.9 कंपनी ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रकट करेगी जो इस नीति के तहत स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट की गई हैं और ऐसे प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए और उसके बाद कंपनी की अभिलेखीय नीति के अनुसार, इसकी वेबसाइट में दिए गए अनुसार प्रकट किए जाएंगे।

The Company shall disclose on its website all such events or information which has been

disclosed to stock exchange(s) under this Policy, and such disclosures shall be hosted on the website of the Company for a minimum period of five years and thereafter as per the archival policy of the Company, as disclosed on its website.

- 3.10 यदि इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा कोई घटना या सूचना प्रकट की जानी है तो किसी विनियामक, सांविधिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने के बाद कंपनी ऐसे संप्रेषण को घटना या सूचना के साथ तब तक प्रकट करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे संप्रेषण का प्रकटन निषिद्ध न कर दिया जाता हो।

In case an event or information is required to be disclosed by the Company in terms of the provisions of this regulation, pursuant to the receipt of a communication from any regulatory, statutory, enforcement or judicial authority, the Company shall disclose such communication, along with the event or information, unless disclosure of such communication is prohibited by such authority.

4. भौतिक घटनाओं या सूचना को स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करने की समय-सीमा

Timelines for Disclosure of Material Events or Information to Stock Exchanges

- 4.1 कंपनी पहले स्टॉक एक्सचेंज को ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं को प्रकट करेगी जो इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित रूप से यथा संभव शीघ्र और किसी भी मामले में निम्नलिखित के बाद की नहीं हैं -

The Company shall first disclose to the stock exchange(s) all events or information which are material in terms of the provisions of this regulation as soon as reasonably possible and in any case not later than the following:

- a) निदेशक मंडल की बैठक समाप्त होने के 30 मिनट बाद, जिसमें आयोजन या सूचना से संबंधित निर्णय लिया गया है,

30 minutes from the closure of the meeting of the Board of Directors in which the decision pertaining to the event or information has been taken;

बशर्ते कि यदि निदेशक मंडल की बैठक उस दिन के सामान्य कारोबारी घंटों के बाद समाप्त होती है लेकिन अगले कारोबारी दिन के सामान्य कारोबारी घंटों की शुरुआत से तीन घंटे पहले समाप्त होती है तो सूचीबद्ध स्वत्व मंडल की बैठक के समापन के तीन घंटों के भीतर कार्यक्रम या सूचना से संबंधित निर्णय को प्रकट करेगा।

Provided that in case the meeting of the Board of Directors closes after normal trading hours of that day but more than three hours before the beginning of the normal trading hours of the next trading day, the listed entity shall disclose the decision pertaining to the event or information, within three hours from the closure of the Board meeting.

आगे यह शर्त रखी गई है कि यदि निदेशक मंडल की बैठक एक दिन से अधिक समय तक आयोजित की जाती है तो ऐसी बैठक को समाप्त करने के तीस मिनट या तीन घंटों के भीतर वित्तीय परिणाम, जैसा लागू हो, प्रकट किए जाएंगे उस दिन के लिए जिस दिन यह विचार किया गया है।

Provided further that in case the meeting of the Board of Directors is being held for more than one day, the financial results shall be disclosed within thirty minutes or three hours, as applicable, from closure of such meeting for the day on which it has been considered.

- b) घटना या सूचना के घटित होने से 12 घंटे बाद, यदि घटना या सूचना कंपनी के भीतर से निकलती है,

12 hours from the occurrence of the event or information, in case the event or information is emanating from within the Company;

c) घटना या सूचना के घटित होने के 24 घंटे बाद, यदि घटना या सूचना कंपनी के भीतर से नहीं निकलती है।

24 hours from the occurrence of the event or information, in case the event or information is not emanating from within the Company:

बशर्ते कि यदि अनुसूची III के भाग ए के उप-पैरा बी के उप-पैरा 8 के संदर्भ में कर मुकदमेबाजी या विवाद के अलावा किसी अन्य मुकदमेबाजी या विवाद के तहत सूचीबद्ध स्वत्व के खिलाफ किए गए दावों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भेदिया कारोबार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध स्वत्व के संरचित डिजिटल डेटाबेस में सभी संगत सूचना रखी जाती है तो ऐसे दावों के संबंध में प्रकटीकरण सूचीबद्ध स्वत्व द्वारा सूचना प्राप्त होने के बहतर घंटों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को किया जाएगा।

Provided that if all the relevant information, in respect of claims which are made against the listed entity under any litigation or dispute, other than tax litigation or dispute, in terms of sub-paragraph 8 of paragraph B of Part A of Schedule III, is maintained in the structured digital database of the listed entity in terms of provisions of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the disclosure with respect to such claims shall be made to the stock exchange(s) within seventy-two hours of receipt of the notice by the listed entity.

d) ऐसी घटनाओं के संबंध में जिनके लिए सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची III के भाग ए में समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है, ऐसी समय-सीमा के भीतर बनाई जाएगी (देखें अनुलग्नक-1)।

With respect to events for which timelines have been specified in Part A of Schedule III of SEBI Listing Regulations shall be made within such timelines (refer Annexure-1)

4.2 यदि इस विनियम के तहत निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद प्रकटीकरण किया जाता है, तो कंपनी ऐसे प्रकटीकरण के साथ विलंब के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करेगी।

In case the disclosure is made after the timelines specified under this regulation, the Company shall, along with such disclosure provide the explanation for the delay.

स्पष्टीकरण-सामान्य कारोबारी घंटों का अर्थ ऐसी समयावधि से होगा जिसके लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सभी निवेशकों के लिए कारोबार के लिए खुले होंगे।

Explanation: Normal trading hours shall mean time period for which the recognized stock exchanges are open for trading for all investors.

5. बाजार की अफवाहों के सत्यापन पर दिशा-निर्देश

Guidance on Verification of Market Rumors

5.1 सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 30 (11) के अनुसार, कंपनी 'मुख्यधारा के मीडिया' में किसी रिपोर्ट की गई घटना या सूचना जो सामान्य प्रकृति की नहीं है और जो इंगित करती है कि किसी संभावित विशिष्ट घटना या सूचना की अफवाह निवेशक जनता के बीच यथाशीघ्र, यथोचित रूप से लेकिन किसी भी मामले में कीमत परिवर्तन के कारण 24 घंटे से अधिक समय तक फैली हुई है, की पुष्टि, खंडन या स्पष्ट करेगी।

In terms of Regulation 30(11) of the Listing Regulations, the Company shall confirm, deny or clarify, upon the material price movement as may be specified by the stock exchanges any reported event or information in the ‘mainstream media’ which is not general in nature and which indicates that rumor of an impending specific event or information is circulating amongst the investing public, as soon as reasonably possible but in any case not later than 24 hours from the trigger of material price movement.

- 5.2 यदि कंपनी रिपोर्ट की गई घटना या सूचना की पुष्टि करती है, तो वह ऐसी घटना या सूचना की वर्तमान अवस्था को भी प्रदान करेगी।

If the Company confirms the reported event or information, it shall also provide the current stage of such event or information.

- 5.3 जब कंपनी महत्वपूर्ण मूल्य संचलन के प्रारंभ होने के 24 घंटों के भीतर कोई रिपोर्ट की गई घटना या सूचना देती है, जिस पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी इश्यू एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के अध्याय V या अध्याय VI के तहत प्रदान किए गए मूल्य निर्धारण मानदंड या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के तहत प्रदान किए गए मूल्य निर्धारण मानदंड या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 के विनियम 19 या विनियम 22B के तहत प्रदान किए गए मूल्य निर्धारण मानदंड या मंडल या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मूल्य निर्धारण मानदंड लागू होते हैं, तो महत्वपूर्ण मूल्य संचलन की पुष्टि होने के कारण सूचीबद्ध स्वत्व के इक्कीटी शेयरों की कीमत पर प्रभाव और ऐसे लेनदेन के लिए कीमत की गणना हेतु रिपोर्ट की गई घटना या सूचना के पुष्टिकरण को मंडल द्वारा यथा निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार ऐसे लेनदेन हेतु अपवर्जित किया जा सकता है।

When the Company confirms within 24 hours from the trigger of material price movement, any reported event or information on which pricing norms provided under Chapter V or Chapter VI of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 or pricing norms provided under Regulation 8 or Regulation 9 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 or pricing norms provided under Regulation 19 or Regulation 22B of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 or any other pricing norms specified by the Board or the stock exchanges are applicable, then the effect on the price of the equity shares of the listed entity due to the material price movement and confirmation of the reported event or information may be excluded for calculation of the price for that transaction as per the framework as may be specified by the Board.

- 5.4 इसके अलावा, कंपनी के प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन सूचीकरण विनियमन के विनियम 30 (11) के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा पूछे गए प्रश्नों या स्पष्टीकरण का पर्याप्त, सटीक और समय पर उत्तर देंगे और कंपनी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को स्टॉक एक्सचेंजों को तुरंत देगी।

Further, the promoter, director, key managerial personnel or senior management of the Company shall provide adequate, accurate and timely response to queries raised or explanation sought by the Company in order to ensure compliance with the requirements under regulation 30(11) of the listing regulation and the Company shall disseminate the response received from such individual(s) promptly to the stock exchanges.

5.5 कार्पोरेट संप्रेषण विभाग, कार्पोरेट कार्यालय के विभाग प्रमुख 'मुख्यधारा मीडिया' में रिपोर्ट की गई ऐसी घटना या सूचना के बारे में जो सामान्य प्रकृति की नहीं है और जो इंगित करती है कि आसन्न विशिष्ट घटना या सूचना निवेशककर्ता जनता के बीच परिचालित की जा रही है, कंपनी सचिव को तुरंत सूचित करेंगे।

The Head of the Department (HoD) of the Corporate Communication Department, Corporate Office shall immediately bring to the notice of the Company Secretary about the reported event or information in the 'Mainstream Media' which is not general in nature and which indicates that rumor of an impending specific event or information is circulating amongst the investing public.

स्पष्टीकरण- "मुख्यधारा मीडिया" में निम्नलिखित का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल होगा-

Explanation: "Mainstream Media" shall include print or electronic mode of the following:

- i. भारत के समाचार पत्र पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचार पत्र, Newspapers registered with the Registrar of Newspapers for India;
- ii. भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमत समाचार चैनल, News channels permitted by Ministry of Information and Broadcasting under Government of India;
- iii. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत परिभाषित समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशक द्वारा प्रकाशित सामग्री, और Content published by the publisher of news and current affairs content as defined under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021; and
- iv. समाचार पत्र या समाचार चैनल या समाचार और समसामयिक मामलों की विषय-वस्तु, जैसा मामला हो, भारत के बाहर के न्यायालयों में समान रूप से पंजीकृत या अनुमत या विनियमित है, Newspapers or news channels or news and current affairs content similarly registered or permitted or regulated, as the case may be, in jurisdictions outside India;"

6. कुछ विशेष प्रकार के करारों की प्रकटन की आवश्यकताएं

Disclosure Requirements for Certain Types of Agreements

6.1 सभी शेयरधारक, प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह स्वत्व, संबंधित पक्षकार, सूचीबद्ध स्वत्व या उसकी धारक कंपनी, सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनी के निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और कर्मचारी जो इन विनियमों की अनुसूची III के भाग-ए के पैरा-ए के खंड 5ए में निर्दिष्ट करार के पक्षकार हैं, कंपनी सचिव को ऐसे करार जिसमें सूचीबद्ध स्वत्व पक्षकार नहीं है, को करने या ऐसे करार करने के लिए करार पर हस्ताक्षर करने के दो कार्य दिवसों के भीतर ऐसे करार के बारे में सूचित करेंगे।

All the shareholders, promoters, promoter group entities, related parties, directors, key managerial personnel and employees of a listed entity or of its holding, subsidiary and associate company, who are parties to the agreements specified in clause 5A of para A of part A of schedule III to these regulations, shall inform the Company Secretary of the Company about the agreement to which such a listed entity is not a party, within two working days of entering into such agreements or signing an agreement to enter into such agreements.

7. किसी घटना या सूचना के समय पर मार्गदर्शन

Guidance on Timing of an Event or Information

7.1 कंपनी को इस प्रश्न का सामना करना पड़ सकता है कि सेबी एलओडीआर विनियमों की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के तहत प्रकटन करने के लिए कोई घटना/सूचना कब हुई कही जाएगी।

The Company may be confronted with the question as to when an event/information can be said to have occurred for making disclosures under regulation 30 read with Schedule III of the SEBI LODR Regulations.

7.2 कुछ मामलों में, उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर चर्चा, वार्ता या अनुमोदन के चरण पर निर्भर करेगा और अन्य मामलों में जहां ऐसी चर्चा, वार्ता या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है जैसे प्राकृतिक आपदाओं, व्यवधान आदि के मामले में, उक्त प्रश्न का उत्तर कंपनी द्वारा घटना/सूचना के संज्ञान में आने के समय पर निर्भर करेगा।

In certain instances, the answer to above question would depend upon the stage of discussion, negotiation or approval and in other instances where there is no such discussion, negotiation or approval required, viz. in case of natural calamities, disruptions, etc., the answer to the above question would depend upon the timing when the Company became aware of the event/information.

7.3 पहली स्थिति में, ऐसी घटनाएं/सूचना निदेशक मंडल के अनुमोदन प्राप्त होने पर घटित हुई मानी जा सकती हैं।

In the former, the events/information can be said to have occurred upon receipt of approval of Board of Directors.

हालांकि, कुछ घटनाओं जैसे लाभांश की घोषणा आदि में कीमत की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों के अनुमोदन के लंबित होने पर निदेशक मंडल द्वारा घटना के अनुमोदन के बाद प्रकटीकरण किया जाएगा।

However, considering the price sensitivity involved, for certain events, e.g. decision on declaration of dividends etc., disclosure shall be made on receipt of approval of the event by the Board of Directors, pending shareholders' approval.

यदि निदेशक मंडल द्वारा अन्वेषण करने का सैद्धांतिक अनुमोदन या अनुमोदन दिया जाता है (जो अंतिम अनुमोदन नहीं है) तो उसे एलओडीआर विनियमों के विनियम 30 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

In case in-principle approval or approval to explore (which is not final approval) is given by the Board of Directors, the same shall not require disclosure under regulation 30 of the LODR Regulations.

7.4 दूसरी स्थिति में, घटनाओं/सूचनाओं को तब घटित हुआ कहा जा सकता है जब कंपनी को घटनाओं/सूचनाओं की जानकारी होती है, या कंपनी के किसी अधिकारी को जैसे ही अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सूचना का यथोचित अधिकार प्राप्त होता है या होना चाहिए था।

In the latter, the events/information can be said to have occurred when the Company becomes aware of the events/information, or as soon as, an officer of the Company has, or ought to have reasonably come into possession of the information in the course of the performance of his duties.

- 7.5 उपर्युक्त के होते हुए भी, कंपनी एलओडीआर विनियमों के विनियम 30 (11) के संदर्भ में मुख्यधारा के मीडिया में किसी रिपोर्ट की गई घटना या सूचना की पुष्टि, खंडन करेगी या स्पष्टीकरण देगी।

Notwithstanding the above, The Company shall confirm, deny or clarify any reported event or information in the mainstream media in terms of regulation 30(11) of the LODR Regulations.

स्पष्टीकरण - 'अधिकारी' पद का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है और इसमें सूचीबद्ध स्वत्व का प्रवर्तक भी शामिल होगा।

Explanation: The term 'officer' shall have the same meaning as defined under the Companies Act, 2013 and shall also include promoter of the listed entity.

8. प्रकटन के लिए आंतरिक पण्डारकों और प्राधिकृत व्यक्तियों की बाध्यताएं

Obligations of Internal Stakeholders and Authorised Person for Disclosure

- 8.1 यदि विभाग का कोई भी प्रमुख/एसबीयू का कोई भी प्रमुख/यूनिट प्रमुख इस नीति और सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III में वर्णित किसी महत्वपूर्ण घटना या सूचना से अवगत होता है तो एसबीयू के संबंधित विभाग प्रमुख/यूनिट प्रमुख उक्त महत्वपूर्ण घटना/सूचना के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को त्वरित और उचित प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी सचिव को तुरंत पर्याप्त सहायक डेटा/सूचना के साथ सूचित करेंगे।

Any Head of the Department/Head of SBU/Head of Unit becomes aware of any material event or information as laid down in the Policy and Schedule III of the SEBI Listing Regulations, the concerned Head of the Department/Head of SBU/Head of Unit shall immediately inform about the said material event / information to the Company Secretary of the Company with adequate supporting data/information, to ensure a prompt and appropriate disclosure to the stock exchanges.

- 8.2 इसके बाद प्राधिकृत व्यक्ति उक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर ऐसी घटनाओं या सूचनाओं की वास्तविकता का पता लगाएंगे।

The Authorised Person(s) will then ascertain the materiality of such event(s) or information based on the above guidelines.

- 8.3 मूल्यांकन पूरा होने पर, प्राधिकृत व्यक्ति, यदि आवश्यक हो, स्टॉक एक्सचेंजों को उचित प्रकटीकरण करेंगे।

On completion of the assessment, the Authorized Person(s) shall, if required, make appropriate disclosure(s) to the Stock Exchanges.

9. परिसीमन और संशोधन / Limitation and Amendment

- 9.1 इस नीति के प्रावधानों और इस अधिनियम या सूचीबद्धता विनियमों या किसी अन्य संवैधानिक अधिनियमों, नियमों के बीच किसी संघर्ष की स्थिति में, ऐसे अधिनियम या सूचीबद्धता विनियमों या संवैधानिक अधिनियमों के प्रावधान, नियम इस नीति पर लागू होंगे। इस संबंध में सूचीबद्धता विनियम, अधिनियम और/या लागू कानूनों में कोई भी अनुवर्ती संशोधन/आशोधन यथावश्यक परिवर्तनशील सहित इस नीति पर लागू होंगे।

In the event of any conflict between the provisions of this Policy and of the Act or Listing Regulations or any other statutory enactments, rules, the provisions of such Act or Listing Regulations or statutory enactments, rules shall prevail over this Policy. Any subsequent amendment / modification in the Listing Regulations, Act and/or applicable laws in this regard shall be mutatis mutandis apply to this Policy.

10. प्रभावी तारीख और समीक्षा / Effective Date & Review

10.1 यह नीति समय-समय पर यथा संशोधित 1 दिसंबर, 2015 से प्रभावी रही है। निदेशक मंडल समय-समय पर इस नीति की समीक्षा करेंगे।

The Policy has been effective 1st December, 2015 as amended from time to time. The Board of Directors Policy may review the Policy from time to time.

11. यह कार्यालय आदेश पिछले कार्यालय आदेश सं. प्रका/010/002 दिनांक 15.03.2024 (यथा संशोधित) को अधिक्रमित करता है।

This Office Order supersedes the earlier Office Order No. HO/010/002 dated 15.03.2024 (as amended).

A. २०२१/२
Manu 29.03.25
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
GENERAL MANAGER (HR)
[Signature]

ईडी / जीएम / सीटीओ / सीएस
यूनिट एचआर वित्त /प्रमुख
आरओ / एमसी प्रमुख

EDs / GMs / CTOs / CS
UNIT HR / FINANCE HEADS
RO / MC HEADS

सीएमडी	डी (ओ यू)	डी (एफ)	डी (एच आर)	डी (मार्केटिंग)	डी (बीसी)	डी (आर एंड डी)	सीवीओ
CMD	D(OU)	D(F)	D (HR)	D(MKTG)	D(BC)	D(R&D)	CVO

ऐसी घटनाएं जो सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम (30) के उप-विनियम (4) में निर्दिष्टानुसार भौतिकता के दिशा-निर्देशों को लागू किए बिना बिना प्रकट की जाएंगी -

Events which shall be disclosed without any application of the guidelines for materiality as specified in sub-regulation (4) of regulation (30) of SEBI Listing Regulations:

1. अर्जन (अर्जित करने के करार सहित), व्यवस्था की योजना (समामेलन, विलयन, डीमर्जर या पुनर्संरचना), किसी यूनिट, प्रभाग का संपूर्ण या सारभूत रूप से सूचीबद्ध स्वत्व के संपूर्ण उपक्रम या सहायक स्वत्व का विक्रिय या निपटान, सूचीबद्ध स्वत्व की सहायक कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री या कोई अन्य पुनर्गठन।

Acquisition(s) (including agreement to acquire), Scheme of Arrangement (amalgamation, merger, demerger or restructuring), sale or disposal of any unit(s), division(s), whole or substantially the whole of the undertaking(s) or subsidiary of the listed entity, sale of stake in associate company of the listed entity or any other restructuring.

स्पष्टीकरण (1) - इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, 'अर्जन' शब्द से आशय होगा -

Explanation (1) - For the purpose of this sub-paragraph, the word 'acquisition' shall mean –

- (i) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण प्राप्त करना या acquiring control, whether directly or indirectly; or
- (ii) किसी कंपनी में, चाहे वह विद्यमान हो या निगमित की जाने वाली हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, शेयर प्राप्त करने या मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए अर्जन या करार इस प्रकार करना कि-
acquiring or agreement to acquire shares or voting rights in a company, whether existing or to be incorporated, whether directly or indirectly, such that –
- (a) सूचीबद्ध स्वत्व के पास उक्त कंपनी के बीस प्रतिशत या उससे अधिक शेयर या मतदान का अधिकार है, या the listed entity holds shares or voting rights aggregating to twenty per cent or more of the shares or voting rights in the said company; or
- (b) इस उप-पैरा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप-खंड (ए) के तहत किए गए अंतिम प्रकटीकरण से धारण करने में परिवर्तन हुआ है और ऐसा परिवर्तन उक्त कंपनी में कुल शेयरधारिता या मतदान के अधिकार के पांच प्रतिशत से अधिक है, या there has been a change in holding from the last disclosure made under sub-clause (a) of clause (ii) of the Explanation to this sub-paragraph and such change exceeds five per cent of the total shareholding or voting rights in the said company; or
- (c) अर्जन की लागत या जिस कीमत पर शेयरों का अधिग्रहण किया गया है, वह विनियमन 30 के उप-विनियम (4) के खंड (i) के उप-खंड (सी) में निर्दिष्ट ऊपरी सीमा से अधिक है। the cost of acquisition or the price at which the shares are acquired exceeds the threshold specified in sub-clause (c) of clause (i) of sub- regulation (4) of regulation 30.

परंतुक यह कि किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में कुल पांच प्रतिशत या उससे अधिक शेयरों या मतदान के अधिकार का अर्जन या मतदान के अधिकार तथा इस परंतुक के तहत अंतिम प्रकटन से धारण में किया गया कोई परिवर्तन जो उक्त गैर-सूचीबद्ध कंपनी में कुल शेयरधारिता या मतदान के अधिकार के दो प्रतिशत से अधिक होता है, यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में तिमाही आधार पर प्रकट किया जाएगा।

Provided that acquisition of shares or voting rights aggregating to five percent or more of the shares or voting rights in an unlisted company and any change in holding from the last disclosure made under this proviso exceeding two per cent of the total shareholding or voting rights in the said unlisted company shall be disclosed on a quarterly basis in the format as may be specified.

स्पष्टीकरण (2) - इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, "सहायक कंपनी की बिक्री या निपटान" और "सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री" में निम्नलिखित शामिल होंगे -

Explanation (2) - For the purpose of this sub-paragraph, "sale or disposal of subsidiary" and "sale of stake in associate company" shall include-

- (i) किसी कंपनी में शेयरों को इस प्रकार बेचने या बेचने या मतदान करने का अधिकार देने का करार कि कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सहायक कंपनी या सूचीबद्ध स्वत्व की सहयोगी कंपनी नहीं रह जाती है, या
an agreement to sell or sale of shares or voting rights in a company such that the company ceases to be a wholly owned subsidiary, a subsidiary or an associate company of the listed entity; or
- (ii) किसी सहायक या सहयोगी कंपनी में शेयरों को इस प्रकार बेचने या मताधिकार का करार कि बिक्री की राशि विनियम 30 के उप-विनियम (4) के खंड (i) के उप-खंड (सी) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो।
an agreement to sell or sale of shares or voting rights in a subsidiary or associate company such that the amount of the sale exceeds the threshold specified in sub-clause (c) of clause (i) of sub-regulation (4) of regulation 30.

स्पष्टीकरण (3)-इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, "उपक्रम" और "सारभूत रूप से संपूर्ण उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के तहत दिया गया है।

Explanation (3) - For the purpose of this sub-paragraph, "undertaking" and "substantially the whole of the undertaking" shall have the same meaning as given under section 180 of the Companies Act, 2013.

2. प्रतिभूतियों को जारी करना या जब्त करना, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, प्रतिभूतियों की अंतरण क्षमता पर कोई प्रतिबंध या जब्त करने या जब्त की गई प्रतिभूतियों को पुनःजारी करने, कॉल में परिवर्तन, प्रतिभूतियों के मोचन सहित विद्यमान प्रतिभूतियों के निबंधनों या संरचना में परिवर्तन आदि।

Issuance or forfeiture of securities, split or consolidation of shares, buyback of securities, any restriction on transferability of securities or alteration in terms or structure of existing securities including forfeiture, reissue of forfeited securities, alteration of calls, redemption of securities etc.

3. नई रेटिंग या रेटिंग में संशोधन
New Rating(s) or Revision in Rating(s).

4. निदेशक मंडल की बैठक के परिणाम - सूचीबद्ध स्वत्व निम्नलिखित पर विचार करने के लिए आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों के परिणामों को एक्सचेंज को प्रकट करेगा -

Outcome of Meetings of the Board of Directors: The listed entity shall disclose to the Exchange(s) the outcome of meetings of Board of Directors held to consider the following:

- a) सिफारिश किए गए या घोषित लाभांश या लाभांश पारित करने का निर्णय और जिस तारीख को लाभांश का भुगतान/प्रेषण किया जाएगा,
dividends recommended or declared or the decision to pass any dividend and the date on which dividend shall be paid/dispatched;
- b) लाभांश का रद्द किया जाना, कारण सहित,
any cancellation of dividend with reasons thereof;
- c) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर निर्णय,
the decision on buyback of securities;
- d) अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गम, अधिकार इश्यू, अमेरिकन डिपॉजिटरी प्रासि/ग्लोबल डिपॉजिटरी प्रासि/फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बांड, अर्हक संस्थानों का प्लेसमेंट, ऋण इश्यू, अधिमान निर्गम या कोई अन्य विधि द्वारा प्रतिभूतियां (सुरक्षा प्राप्तियां, प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित मुद्रा बाजार लिखत छोड़कर) जारी करने सहित प्रस्तावित निधि जुटाने से संबंधित निर्णय,
the decision with respect to fund raising proposed to be undertaken including by way of issue of securities (excluding security receipts, securitized debt instruments or money market instruments regulated by the Reserve Bank of India), through further public offer, rights issue, American Depository Receipts/ Global Depository Receipts/ Foreign Currency Convertible Bonds, qualified institutions placement, debt issue, preferential issue or any other method;
- e) पूँजीकरण के माध्यम से बोनस शेयर जारी करते हुए पूँजी में वृद्धि जिसमें वह तारीख भी शामिल हो जिस दिन ऐसे बोनस शेयर जमा/प्रेषित किए जाएंगे,
increase in capital by issue of bonus shares through capitalization including the date on which such bonus shares shall be credited/dispatched;
- f) जब्त किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों को फिर से जारी करना या भविष्य के निर्गम के लिए आरक्षित शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी करना या नए शेयरों या प्रतिभूतियों के किसी भी रूप या तरीके से सृजन करना या कोई अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या अनुलाभ प्राप्त करना,
reissue of forfeited shares or securities, or the issue of shares or securities held in reserve for future issue or the creation in any form or manner of new shares or securities or any other rights, privileges or benefits to subscribe to;
- g) कॉल सहित पूँजी के किसी अन्य परिवर्तन के संक्षिप्त विवरण,
short particulars of any other alterations of capital, including calls;
- h) वित्तीय परिणाम / financial results;
- i) स्टॉक एक्सचेंजों से सूचीबद्ध निकाय द्वारा स्वैच्छिक डीलिस्टिंग संबंधी निर्णय -
decision on voluntary delisting by the listed entity from stock exchange(s):

5. ऐसे करार (यानी शेयरधारक करार, संयुक्त उद्यम करार, परिवार निपटान करार (जहां तक वह सूचीबद्ध स्वत्व के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता हो), करार /संधि /मीडिया कंपनियों के साथ ठेके को

जो बाध्यकारी हैं और कारोबार, उसके पुनरीक्षण या संशोधन तथा समापन की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं।

Agreements (viz. shareholder agreement(s), joint venture agreement(s), family settlement agreement(s) (to the extent that it impacts management and control of the listed entity), agreement(s)/treaty(ies)/contract(s) with media companies) which are binding and not in normal course of business, revision(s) or amendment(s) and termination(s) thereof.

- 5A. शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रवर्तक समूह के निकायों, संबंधित पक्षकारों, सूचीबद्ध स्वत्व या उसकी धारक कंपनी, सहयोगी या सहायक कंपनी के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, कर्मचारियों द्वारा उनके बीच या सूचीबद्ध कंपनी या किसी तृतीय पक्षकार के साथ पूरी तरह या संयुक्त रूप से किए गए ऐसे करार जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या संभावित रूप से सूचीबद्ध स्वत्व के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करते हैं या सूचीबद्ध स्वत्व पर कोई प्रतिबंध लगाते हैं या कोई दायित्व सृजित करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किए जाएंगे, जिनमें ऐसे करार को रद्द करने, संशोधन करने या उसमें परिवर्तन करने का प्रकटन भी शामिल होगा, चाहे सूचीबद्ध स्वत्व ऐसे करार का पक्षकार हो या न हो।

Agreements entered into by the shareholders, promoters, promoter group entities, related parties, directors, key managerial personnel, employees of the listed entity or of its holding, subsidiary or associate company, among themselves or with the listed entity or with a third party, solely or jointly, which, either directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity or impose any restriction or create any liability upon the listed entity, shall be disclosed to the Stock Exchanges, including disclosure of any rescission, amendment or alteration of such agreements thereto, whether or not the listed entity is a party to such agreements:

बशर्ते कि किसी सूचीबद्ध स्वत्व द्वारा कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए ऐसे करारों को तब तक प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध स्वत्व के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करता है या उन्हें इन विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के संदर्भ में प्रकट किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

Provided that such agreements entered into by a listed entity in the normal course of business shall not be required to be disclosed unless they, either directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity or they are required to be disclosed in terms of any other provisions of these regulations.

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ, "प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से" पदबंध में ऐसे करार के पक्षकारों पर यह सुनिश्चित करने की बाध्यता सृजित करने वाले करार शामिल हैं कि सूचीबद्ध स्वत्व किसी विशेष ढंग से कार्य करेगा या नहीं करेगा।

Explanation: For the purpose of this clause, the term "directly or indirectly" includes agreements creating obligation on the parties to such agreements to ensure that listed entity shall or shall not act in a particular manner.

6. सूचीबद्ध स्वत्व, उसके प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन या सहायक कंपनी द्वारा जालसंजाजी या चूक करना या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रवर्तक या सूचीबद्ध स्वत्व के निदेशक की गिरफ्तारी चाहे वह भारत में हो या विदेश में -

Fraud or defaults by a listed entity, its promoter, director, key managerial personnel, senior management or subsidiary or arrest of key managerial personnel, senior management,

promoter or director of the listed entity, whether occurred within India or abroad:

इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ -

For the purpose of this sub-paragraph:

- (i) 'जालसाजी' में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित जालसाजी और अनुचित व्यापार पद्धतियों का निषेध) विनियम, 2003 के विनियम 2(1) (सी) के तहत परिभाषित जालसाजी शामिल होगी।
‘Fraud’ shall include fraud as defined under Regulation 2(1)(c) of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003.
- (ii) 'चूक' का अर्थ होगा जिस तारीख को ऋण देय और प्रदेय हो गया है, उस तारीख को ब्याज या मूलधन का पूरा भुगतान न करना।
‘Default’ shall mean non-payment of the interest or principal amount in full on the date when the debt has become due and payable.

स्पष्टीकरण-1- नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के मामले में, यदि बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, इनमें से जो भी कम हो, से तीस दिनों से अधिक समय तक निरंतर अधिक बनी रहती है तो किसी स्वत्व को 'चूक' किया माना जाएगा।

Explanation-1: In case of revolving facilities like cash credit, an entity would be considered to be in ‘default’ if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for more than thirty days.

स्पष्टीकरण-2- प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, सहायक कंपनी द्वारा चूक करने का अर्थ ऐसी 'चूक' से होगा जिसका सूचीबद्ध स्वत्व पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है।

Explanation-2: Default by a promoter, director, key managerial personnel, senior management, subsidiary shall mean default which has or may have an impact on the listed entity.

स्पष्टीकरण-3- प्रवर्तक, निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की गई धोखाधड़ी का प्रकटन तभी किया जाएगा जब वह सूचीबद्ध स्वत्व के संबंध में हो।

Explanation-3: Fraud by senior management, other than who is promoter, director or key managerial personnel, shall be required to be disclosed only if it is in relation to the listed entity.

7. निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), वरिष्ठ प्रबंधन, लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन।
Change in directors, key managerial personnel (Managing Director, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Company Secretary etc.), senior management, Auditor and Compliance Officer.
- 7A. सूचीबद्ध स्वत्व के लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के मामले में, उक्त लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए अनुसार, उनके त्यागपत्र देने के विस्तृत कारण, सूचीबद्ध स्वत्व द्वारा यथा शीघ्र लेकिन ऐसे कारणों की प्राप्ति के

चौबीस घंटों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किए जाएंगे।

In case of resignation of the auditor of the listed entity, detailed reasons for resignation of auditor, as given by the said auditor, shall be disclosed by the listed entities to the stock exchanges as soon as possible but not later than twenty four hours of receipt of such reasons from the auditor.

- 7B. स्वतंत्र निदेशक का त्यागपत्र, त्यागपत्र देने के कारणों सहित - सूचीबद्ध स्वत्व के स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र देने के मामले में, त्यागपत्र देने की तारीख से सात दिनों के भीतर, सूचीबद्ध स्वत्व द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटन किए जाएंगे -

Resignation of independent director including reasons for resignation: In case of resignation of an independent director of the listed entity, within seven days from the date of resignation, the following disclosures shall be made to the stock exchanges by the listed entities:

- i. उक्त निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों सहित त्यागपत्र।

The letter of resignation along with detailed reasons for the resignation as given by the said director.

- ia. ऐसे सूचीबद्ध स्वत्वों के नाम जिनमें त्यागपत्र देने वाले निदेशक, निदेशक का पद धारित करते हैं जो निदेशक पद की श्रेणी और मंडल समितियों की सदस्यता, यदि कोई हो, को इंगित करते हैं।

Names of listed entities in which the resigning director holds directorships, indicating the category of directorship and membership of Board Committees, if any.

- ii. स्वतंत्र निदेशक विस्तृत कारणों के साथ इस बात की पुष्टि भी करेंगे कि प्रदान किए गए कारणों के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं हैं।

The independent director shall, along with the detailed reasons, also provide a confirmation that there is no other material reasons other than those provided.

- iii. उपर्युक्त स्वतंत्र निदेशक द्वारा प्रदान की गई पुष्टि ऊपर के उप खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट प्रकटीकरण के साथ-साथ सूचीबद्ध निकायों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रकट की जाएगी।

The confirmation as provided by the independent director above shall also be disclosed by the listed entities to the stock exchanges along with the disclosures as specified in sub-clause (i) and (ii) above.

- 7C. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या स्वतंत्र निदेशक के अलावा अन्य निदेशक के त्यागपत्र के मामले में, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों के साथ त्यागपत्र को उसके प्रभावी होने के सात दिनों के भीतर सूचीबद्ध निकायों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किया जाएगा।

In case of resignation of key managerial personnel, senior management, Compliance Officer or director other than an independent director; the letter of resignation along with detailed reasons for the resignation as given by the key managerial personnel, senior management, Compliance Officer or director shall be disclosed to the stock exchanges by the listed entities within seven days from the date that such resignation comes into effect.

- 7D. यदि किसी सूचीबद्ध स्वत्व का प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी नब्बे दिनों की किसी भी चल अवधि में पैंतालीस दिनों से अधिक समय तक नियमित रूप से भूमिका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्वस्थ या अनुपलब्ध होते हैं तो ऐसी अस्वस्थता या अनुपलब्धता के कारणों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज को इसकी सूचना दी जाएगी।

In case the Managing Director or Chief Executive Officer of the listed entity was

indisposed or unavailable to fulfil the requirements of the role in a regular manner for more than forty five days in any rolling period of ninety days, the same along with the reasons for such indisposition or unavailability, shall be disclosed to the stock exchange(s).

8. शेयर अंतरण एजेंट की नियुक्ति या समापन

Appointment or discontinuation of share transfer agent.

9. निम्नलिखित विवरण सहित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना/पुनर्संरचना -

Resolution plan / Restructuring in relation to loans/borrowings from banks/financial institutions including the following details:

(i) ऋण/उधार के समाधान की पहल करने का निर्णय,

Decision to initiate resolution of loans/borrowings;

(ii) ऋणदाताओं द्वारा अंतर-लेनदार करार (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना,

Signing of Inter-Creditors Agreement (ICA) by lenders;

(iii) समाधान योजना को अंतिम रूप देना,

Finalization of Resolution Plan;

(iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन,

Implementation of Resolution Plan;

(v) ऋणदाताओं द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संकल्प/ पुनर्संरचना योजना की मुख्य विशेषताएं जिनमें वाणिज्यिक गोपनीय बातें शामिल न हों।

Salient features, not involving commercial secrets, of the resolution/restructuring plan as decided by lenders.

10. बैंक के साथ एक बारगी निपटान।

One time settlement with a bank.

11. किसी पक्षकार/लेनदारों द्वारा दायर समापन याचिका।

Winding-up petition filed by any party / creditors.

12. सूचीबद्ध स्वत्व द्वारा शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या लेनदारों या उनके किसी वर्ग को भेजे गए या मीडिया में प्रकाशित किए गए नोटिस, आहवान पत्र, संकल्प और परिपत्र जारी करना।

Issuance of Notices, call letters, resolutions and circulars sent to shareholders, debenture holders or creditors or any class of them or advertised in the media by the listed entity.

13. सूचीबद्ध स्वत्व की वार्षिक और असाधारण सामान्य बैठकों की कार्यवाही।

Proceedings of Annual and extraordinary general meetings of the listed entity.

14. सूचीबद्ध स्वत्व की संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियमों में संशोधन, संक्षेप में।

Amendments to memorandum and articles of association of listed entity, in brief.

15. (a) (i) विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की अनुसूची, कम से कम दो कार्य दिवस पहले (सूचना की तारीख और बैठक की तारीख को छोड़कर)।

(a) (i) Schedule of analysts or institutional investors meet at least two working days in advance (excluding the date of the intimation and the date of the meet).

(ii) विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक, आय के बाद या तिमाही कॉल के लिए सूचीबद्ध निकाय

द्वारा तैयार प्रस्तुतीकरण, ऐसे आयोजन शुरू होने से पहले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किए जाएंगे।

(ii) Presentations prepared by the listed entity for analysts or institutional investors meet, post earnings or quarterly calls shall be disclosed to the recognized stock exchanges prior to beginning of such events.

स्पष्टीकरण-1- इस खंड के प्रयोजनार्थ 'बैठक' से आशय प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल साधनों द्वारा आयोजित समूह बैठकों या ग्रूप कॉन्फ्रेंस से होगा।

Explanation-1: For the purpose of this clause 'meet' shall mean group meetings or group conference calls conducted physically or through digital means.

स्पष्टीकरण-II- विशेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक की अनुसूची में नामों का प्रकटन करना सूचीबद्ध निकाय के लिए वैकल्पिक होगा।

Explanation-II: Disclosure of names in the schedule of analysts or institutional investors meet shall be optional for the listed entity.

(b) ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, यदि कोई हो, और आय के बाद की प्रतिलेख या तिमाही कॉल, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निम्नलिखित तरीके से प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल साधनों के माध्यम से आयोजित की गई हो -

(b) Audio recordings, video recordings, if any, and transcripts of post earnings or quarterly calls, by whatever name called, conducted physically or through digital means, in the following manner:

(i) ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर और किसी भी मामले में, अगले व्यापार दिन से पहले या ऐसे कॉल के समापन के चौबीस घंटों के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।
the audio recordings shall be promptly made available on the website and in any case, before the next trading day or within twenty-four hours from the conclusion of such calls, whichever is earlier;

(ii) वीडियो रिकॉर्डिंग, यदि कोई हो, ऐसे कॉल के समापन के अड़तालीस घंटों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
the video recordings, if any, shall be made available on the website within forty-eight hours from the conclusion of such calls;

(iii) ऐसे कॉल के प्रतिलेख ऐसे कॉल के समापन के पांच कार्य दिवसों के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को एक साथ प्रस्तुत करने के साथ-साथ वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
the transcripts of such calls shall be made available on the website along with simultaneous submission to recognized stock exchanges within five working days of the conclusion of such calls.

ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलेख के प्रकटीकरण की आवश्यकता 01 अप्रैल, 2021 से स्वैच्छिक और 01 अप्रैल, 2022 से अनिवार्य होगी।

The requirement for disclosure(s) of audio/video recordings and transcript shall be voluntary with effect from April 01, 2021 and mandatory with effect from April 01, 2022.

16. दिवाला संहिता के तहत सूचीबद्ध कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

(सीआईआरपी) के संबंध में निम्नलिखित घटनाएं -

The following events in relation to the corporate insolvency resolution process (CIRP) of a listed corporate debtor under the Insolvency Code:

- a) सीआईआरपी शुरू करने के लिए कार्पोरेट आवेदक द्वारा आवेदन दाखिल करना, जिसमें चूक की राशि भी निर्दिष्ट की गई हो,
Filing of application by the corporate applicant for initiation of CIRP, also specifying the amount of default;
- b) कार्पोरेट देनदार के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने के लिए वित्तीय लेनदारों द्वारा आवेदन दाखिल करना, जिसमें चूक की राशि भी निर्दिष्ट की गई हो;
Filing of application by financial creditors for initiation of CIRP against the corporate debtor, also specifying the amount of default;
- c) यथा लागू चूक या अस्वीकृति या आहरित राशि के साथ अधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार करना।
Admission of application by the Tribunal, along with amount of default or rejection or withdrawal, as applicable ;
- d) दिवाला संहिता की धारा 13 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में की गई सार्वजनिक घोषणा;
Public announcement made pursuant to order passed by the Tribunal under section 13 of Insolvency Code;
- e) आईबीबीआई (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 13 (2) (सी) के तहत कार्पोरेट देनदार द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित ऋणदाताओं की सूची,
List of creditors as required to be displayed by the corporate debtor under regulation 13(2)(c) of the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016;
- f) समाधान पेशेवर की नियुक्ति/प्रतिस्थापन,
Appointment/ Replacement of the Resolution Professional;
- g) ऋणदाता समिति को बैठकों की पूर्व या कार्योत्तर सूचना,
Prior or post-facto intimation of the meetings of Committee of Creditors;
- h) आईबीबीआई (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए (5) के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र में दिवाला संहिता की धारा 25 (2) (एच) के तहत समाधान योजना आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण,
Brief particulars of invitation of resolution plans under section 25(2)(h) of Insolvency Code in the Form specified under regulation 36A(5) of the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016;
- i) समाधान पेशेवर द्वारा प्राप्त समाधान योजनाओं की संख्या,
Number of resolution plans received by Resolution Professional;
- j) न्यायाधिकरण के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करना,
Filing of resolution plan with the Tribunal;
- k) अधिकरण द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन या यदि लागू हो अस्वीकृति,
Approval of resolution plan by the Tribunal or rejection, if applicable;
- l) दिवाला संहिता के तहत अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की विशेषताएं और विवरण, जिसमें वाणिज्यिक गुप्त बात शामिल नहीं हैं, जिसमें निम्नलिखित जैसे विवरण शामिल होंगे -

Specific features and details of the resolution plan as approved by the Adjudicating Authority under the Insolvency Code, not involving commercial secrets, including details such as:

- (i) कंपनी की पूर्व और पश्चात् की निवल मालियत,
Pre and Post net-worth of the company;
 - (ii) सीआईआरपी के बाद कंपनी की परिसंपत्तियों का विवरण,
Details of assets of the company post CIRP;
 - (iii) कंपनियों की परिसंपत्तियों पर अधिरोपित की जाने वाली प्रतिभूतियों का विवरण,
Details of securities continuing to be imposed on the companies' assets;
 - (iv) कंपनी पर अधिरोपित अन्य महत्वपूर्ण देयताएं,
Other material liabilities imposed on the company;
 - (v) परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का 100% रूपांतरण मानते हुए शेयरधारिता से पहले और बाद के विस्तृत पैटर्न,
Detailed pre and post shareholding pattern assuming 100% conversion of convertible securities;
 - (vi) कंपनी में डाली गई निधियों, लेनदारों द्वारा अदा की गई निधियों का विवरण,
Details of funds infused in the company, creditors paid-off;
 - (vii) लेनदेन, ऐसी निधि के स्रोत आदि के कारण आने वाले निवेशकों पर अतिरिक्त देयता,
Additional liability on the incoming investors due to the transaction, source of such funding etc.;
 - (viii) निवेशकों पर प्रभाव - परिशोधित पी/ई, आरओएनडबल्यू अनुपात आदि,
Impact on the investor – revised P/E, RONW ratios etc.;
 - (ix) नए प्रवर्तकों के नाम, ⁴³⁴[प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक], यदि कोई हों और कारोबार या रोजगार में उनका पिछला अनुभव। यदि प्रवर्तक कंपनी हैं, तो ऐसी कंपनी का इतिहास और नियंत्रणाधीन स्वाभाविक व्यक्तियों के नाम,
Names of the new promoters, ⁴³⁴[key managerial personnel], if any and their past experience in the business or employment. In case where promoters are companies, history of such company and names of natural persons in control;
 - (x) कारोबारी रणनीति का संक्षिप्त विवरण।
Brief description of business strategy.
- m) अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना जिसमें वाणिज्यिक गुस्त बात शामिल न हो।
Any other material information not involving commercial secrets.
 - n) एमपीएस प्राप्त करने के लिए आगंता निवेशक/अधिग्रहणकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम,
Proposed steps to be taken by the incoming investor/acquirer for achieving the MPS;
 - o) एमपीएस प्राप्त करने की स्थिति का तिमाही प्रकटन,
Quarterly disclosure of the status of achieving the MPS;
 - p) सूची से हटाए जाने की योजना, यदि संकल्प योजना में अनुमोदित हो, के विवरण।
The details as to the delisting plans, if any approved in the resolutionplan.

17. फोरेंसिक लेखापरीक्षा का प्रारंभ - फोरेंसिक लेखापरीक्षा की शुरुआत करने के मामले में, (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो), सूचीबद्ध निकायों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा -

Initiation of Forensic audit: In case of initiation of forensic audit, (by whatevername called), the following disclosures shall be made to the stock exchanges by listed entities:

a) लेखापरीक्षा शुरू करने वाले स्वत्व के नाम और उसके कारण, यदि उपलब्ध हो, के साथ-साथ फोरेंसिक लेखापरीक्षा शुरू करने का तथ्य;

The fact of initiation of forensic audit along-with name of entity initiating the audit and reasons for the same, if available;

b) सूचीबद्ध स्वत्व द्वारा प्राप्त किए जाने पर प्रबंधन की टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ, (विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शुरू की गई फोरेंसिक लेखापरीक्षा के अलावा) अंतिम फोरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

Final forensic audit report (other than for forensic audit initiated by regulatory / enforcement agencies) on receipt by the listed entity along with comments of the management, if any.

स्पष्टीकरण - इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, फोरेंसिक लेखापरीक्षा से आशय ऐसी लेखापरीक्षा से है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो वित्तीय विवरणों में किसी गलत कथन का पता लगाने, दुर्विनियोग, बेर्इमानी या निधियों का अपवर्जन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और इसमें उत्पाद गुणता नियंत्रण की पद्धतियां, निर्माणी पद्धतियां, भर्ती की पद्धतियां, आपूर्ति कड़ी प्रक्रिया जिसमें ऐसी अधिप्राप्ति या अन्य इसी प्रकार के मामले होंगे जिनमें सूचीबद्ध स्वत्व द्वारा प्रकट किए गए वित्तीय विवरणों के परिशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे मालमों की लेखापरीक्षा शामिल नहीं होगी।

Explanation – For the purpose of this sub-paragraph, forensic audit refers to the audits, by whatever name called, which are initiated with the objective of detecting any mis-statement in financial statements, mis-appropriation, siphoning or diversion of funds and does not include audit of matters such as product quality control practices, manufacturing practices, recruitment practices, supply chain process including procurement or other similar matters that would not require any revision to the financial statements disclosed by the listed entity.

18. किसी ऐसी घटना या सूचना के संबंध में जो इन विनियमों के विनियम 30 के संदर्भ में सूचीबद्ध स्वत्व के लिए महत्वपूर्ण है और जिसे सूचीबद्ध स्वत्व द्वारा सार्वजनिक डोमेन में पहले से उपलब्ध नहीं कराया गया है, सूचीबद्ध स्वत्व के निदेशकों, प्रवर्तकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सोशल मीडिया मध्यस्थ या मुख्यधारा के मीडिया द्वारा घोषणा या संप्रेषण।

Announcement or communication through social media intermediaries or mainstream media by directors, promoters, key managerial personnel or senior management of a listed entity, in relation to any event or information which is material for the listed entity in terms of regulation 30 of these regulations and is not already made available in the public domain by the listed entity.

स्पष्टीकरण- 'सोशल मीडिया मध्यस्थों' का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में परिभाषित है।

Explanation – “social media intermediaries” shall have the same meaning as defined under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

19. सूचीबद्ध स्वत्व या उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रवर्तक या सहायक कंपनी के

विरुद्ध निम्नलिखित के संबंध में किसी विनियामक, संवैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकारी या न्यायिक निकाय द्वारा की गई कार्रवाई या दिए गए आदेश -

Action(s) initiated or orders passed by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the listed entity or its directors, key managerial personnel, senior management, promoter or subsidiary, in relation to the listed entity, in respect of the following:

- (a) तलाशी या अभिग्रहण, या
search or seizure; or
- (b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 130 के तहत खाता फिर से खोलना, या
re-opening of accounts under section 130 of the Companies Act, 2013; or
- (c) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत जांच करना, जिसमें शुरू की गई, की गई या पारित आदेशों से संबंधित निम्नलिखित विवरण शामिल हों -
investigation under the provisions of Chapter XIV of the Companies Act, 2013; along with the following details pertaining to the actions(s) initiated, taken or orders passed:
 - i. प्राधिकारी का नाम
name of the authority;
 - ii. की गई, शुरू की गई या पारित किए गए आदेश की प्रकृति और विवरण,
nature and details of the action(s) taken, initiated or order(s) passed;
 - iii. प्राधिकारी से किसी अल्पकालिक या अंतरिम आदेश या कोई अन्य सूचना सहित, निदेश या आदेश प्राप्त करने की तारीख,
date of receipt of direction or order, including any ad-interim or interim orders, or any other communication from the authority;
 - iv. किए गए या किए जाने का अभिकथन किए गए उल्लंघन/अतिलंघन का विवरण,
details of the violation(s)/contravention(s) committed or alleged to be committed;
 - v. सूचीबद्ध स्वत्व के वित्तीय, प्रचालन या अन्य कार्यकलापों पर प्रभाव जो यथा संभव मौद्रिक रूप से मापनीय हो।
impact on financial, operation or other activities of the listed entity, quantifiable in monetary terms to the extent possible.

20. सूचीबद्ध स्वत्व या उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटर या सहायक के विरुद्ध निम्नलिखित के संबंध में किसी विनियामक, संवैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकारी या न्यायिक निकाय द्वारा की गई कार्रवाई या पारित आदेश।

Action(s) taken or orders passed by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the listed entity or its directors, key managerial personnel, senior management, promoter or subsidiary, in relation to the listed entity, in respect of the following:

- (a) निलंबन,
suspension;
- (b) जुर्माना या शास्ति अधिरोपित करना,
imposition of fine or penalty;
- (c) कार्यवाहियों का निपटान,
settlement of proceedings;

- (d) विवर्जन,
debarment;
- (e) निरहृता,
disqualification;
- (f) प्रचालन को बंद करना,
closure of operations;
- (g) लगाए गए प्रतिबंध,
sanctions imposed;
- (h) चेतावनी या सावधानी, या
warning or caution; or
- (i) की गई कार्रवाई या पारित आदेशों से संबंधित निम्नलिखित विवरण सहित इसी प्रकार की अन्य
कार्रवाई चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।
any other similar action(s) by whatever name called; along with the following details
pertaining to the actions(s), taken or orders passed:
 - i. प्राधिकारी का नाम,
name of the authority;
 - ii. की गई कार्रवाई या पारित आदेश की प्रकृति और विवरण,
nature and details of the action(s) taken, or order(s) passed;
 - iii. प्राधिकारी से किसी अंतरिम या अंतरिम आदेश या कोई अन्य सूचना सहित, निर्देश या आदेश प्राप्त
करने की तारीख,
date of receipt of direction or order, including any ad-interim or interim orders, or any
other communication from the authority;
 - iv. किए गए या किए गए अभिकथित उल्लंघन/अतिलंघन का विवरण,
details of the violation(s)/contravention(s) committed or alleged to be committed;
 - v. सूचीबद्ध स्वत्व के वित्तीय, प्रचालन या अन्य कार्यकलापों पर प्रभाव जो यथा संभव मौद्रिक रूप से
मापनीय हो।
impact on financial, operation or other activities of the listed entity, quantifiable in
monetary terms to the extent possible.

स्पष्टीकरण - जुर्माने या दंड के अधिरोपण को उप-पैरा में उल्लिखित कार्रवाई या पारित आदेशों से
संबंधित विवरण के साथ निम्नलिखित तरीके से प्रकट किया जाएगा -

Explanation: Imposition of fine or penalty shall be disclosed in the following manner
along with the details pertaining to the action(s) taken or orders passed as mentioned
in the sub-paragraph:

- i. क्षेत्रीय विनियामक या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा लगाए गए एक लाख रुपये या उससे अधिक के
जुर्माने या दंड और अन्य प्राधिकारी या न्यायिक निकाय द्वारा लगाए गए दस लाख रुपये या
उससे अधिक के जुर्माने या दंड की घोषणा चौबीस घंटों के भीतर की जाएगी।
disclosure of fine or penalty of rupees one lakh or more imposed by sectoral
regulator or enforcement agency and fine or penalty of rupees ten lakhs or more
imposed by other authority or judicial body shall be disclosed within twenty four
hours.
- ii. ऊपर खंड (i) में निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा से कम राशि के जुर्माने या दंड का तिमाही आधार पर
विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रकटन करना।

disclosure of fine or penalty imposed which are lower than the monetary thresholds specified in the clause (i) above on a quarterly basis in the format as may be specified.

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत वित्तीय विवरण या सूचीबद्ध स्वत्व के निदेशक मंडल की रिपोर्ट का स्वैच्छिक संशोधन।

Voluntary revision of financial statements or the report of the Board of Directors of the listed entity under section 131 of the Companies Act, 2013.

कार्यालय आदेश सं..एचओ/010/003 दिनांक. 29.03.2025 का अनुलग्नक- 2

Annexure-2 to Office Order No.HO/010/003 dtd. 29.03.2025

ऐसी घटनाएं जो सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन (30) के उप-विनियम (4) में संदर्भित भौतिकता के दिशा-निर्देशों को लागू करने पर प्रकट की जाएंगी -

Events which shall be disclosed upon application of the guidelines for materiality referred sub-regulation (4) of regulation (30) SEBI Listing Regulations:

1. किसी यूनिट/प्रभाग के वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक प्रचालन का प्रारंभ या शुरू करने की तारीख में स्थगना।
Commencement or any postponement in the date of commencement of commercial production or commercial operations of any unit/division.
2. सूचीबद्ध स्वत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कोई घटना -
Any of the following events pertaining to the listed entity:
 - (a) रणनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण या विपणन सहयोग की व्यवस्था, या arrangements for strategic, technical, manufacturing, or marketing tie- up; or
 - (b) कारोबार की नई लाइनों को अपनाना या adoption of new line(s) of business; or
 - (c) किसी यूनिट, प्रभाग या सहायक कंपनी का प्रचालन बंद करना (पूर्णतः या आंशिक रूप में)। closure of operation of any unit, division or subsidiary (in entirety or in piecemeal).
3. क्षमता परिवर्धन या उत्पाद लांच / Capacity addition or product launch.
4. प्रदान किए गए/प्राप्त किए गए ऐसे आदेशों/ठेकों को प्रदान करना, हासिल करना/प्राप्त करना, उनमें संशोधन करना या समाप्त करना जो कारोबार के सामान्य क्रम में न हो।
Awarding, bagging / receiving, amendment or termination of awarded/bagged orders/contracts not in the normal course of business.
5. करार (जैसे ऋण करार या कोई अन्य करार जो बाध्यकारी हैं और कारोबार के सामान्य क्रम में नहीं हैं) और उनका पुनरीक्षण या संशोधन या समाप्तन।
Agreements (viz. loan agreement(s) or any other agreement(s) which are binding and not in normal course of business) and revision(s) or amendment(s) or termination(s) thereof.
6. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आग आदि), अपरिहार्य घटना जैसे हड्डताल, तालाबंदी आदि जैसी घटनाओं के कारण सूचीबद्ध स्वत्व के किसी एक या अधिक यूनिटों या प्रभागों के संचालन में व्यवधान।
Disruption of operations of any one or more units or division of the listed entity due to natural calamity (earthquake, flood, fire etc.), force majeure or events such as strikes, lockouts etc.
7. सूचीबद्ध स्वत्व पर लागू विनियामक ढांचे में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव।
Effect(s) arising out of change in the regulatory framework applicable to the listed entity.

8. किसी मुकदमेबाजी या विवाद का लंबित होना या उसका परिणाम जो सूचीबद्ध स्वत्व पर प्रभाव डाल सकता है।
Pendency of any litigation(s) or dispute(s) or the outcome thereof which may have an impact on the listed entity.
9. सूचीबद्ध स्वत्व के कर्मचारियों द्वारा की गई जालसाजी या चूक जिसका सूचीबद्ध स्वत्व पर प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है।
Frauds or defaults by employees of the listed entity which has or may have an impact on the listed entity.
10. किसी ईएसओपी/ईएसपीएस योजना सहित प्रतिभूतियों की खरीद के विकल्प।
Options to purchase securities including any ESOP/ESPS Scheme.
11. किसी तृतीय पक्षकार के लिए गारंटी देना या हर्जना देना या प्रतिभूति बनना, चाहे वह किसी भी नाम से क्यों न हो।
Giving of guarantees or indemnity or becoming a surety, by whatever named called, for any third party.
12. प्रमुख लाइसेंसों या विनियामक अनुमोदन प्रदान करना, वापस लेना, अभ्यर्पित करना, रद्द करना या निलंबित करना।
Granting, withdrawal, surrender, cancellation or suspension of key licenses or regulatory approvals.
13. किसी विनियामक, संवैधानिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकारी को जुमनि, दंड, बकाया राशि आदि के भुगतान में विलंब या चूक।
Delay or default in the payment of fines, penalties, dues, etc. to any regulatory, statutory, enforcement or judicial authority.